न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई

मु. राजेन्द्र प्र० रनधीर वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/07/24	पत्रा॰ आज पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रा. प्रार्थनापत्र 07 नियम-11 व 151 सी.पी.सी. के तहत आदेश वास्ते पेश हुई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने दौरान बहस तर्क दिया कि दावा 53.188 R का विभाजन का पेश किया है। जिसमें ख.नं. 323/0.9 जो कि गैर मुमकिन चाह दर्ज है तथा ख.नं. 393/0.01 जो कि कब्रिस्तान एवं ख.नं. 395/0.04 जो गैर मुमकिन चाह दर्ज रिकार्ड है। जिसका दावा पेश किया है। कानूनी रूप से इन खसरों का बंटवारा नहीं होता है - इनका दावा विधि द्वारा वर्जित है तथा वादपत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर है। तथा मेरे प्रार्थनापत्र के बाद इनके द्वारा प्रा.पत्र 06 R 17 व 151 पेश किया है कि अन्य खसरों को सम्मिलित करने बाबत पेश किया है। तथा गैर मुमकिन आराजी का बटवारा राजस्व न्यायालय से नहीं होता है। तथा खातेदार आज काश्त करता है। तो उसी आराजी का बंटवारा हो सकता है पर विवादित आराजी आबादी के मध्य स्थित है। जिसे बंटवारे का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर दावा खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी/वादी ने दौरान बहस तर्क दिया कि वादपत्र कि विवादित आराजी आराजी काश्त के रूप में काम आ रही है। तथा काश्तकार की सह खातेदारी की भूमि है। इसमें मौ. खातेदार है। इनके प्रार्थनापत्र 07 R 11 के बाद मैंने प्रा.पत्र 06 R 17 की अन्य आराजी बाबत पेश किया है। तथा पत्रा. में अभी तनकीजात नहीं बनी है तथा साक्ष्य भी होने है। इसलिए यह बिन्दु मैरिट पर तय होगा। अगर प्रा.पत्र 07 R 11 स्वीकार किया जाता है तो वादकारी का मकसद ही समाप्त हो जायेगा अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। मैंने मौखिक में प्रति/उभय वकील ने तर्क दिया कि—	

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

विवादित आराजी आबादी के मध्य है। इसमें साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण का औचित्यता नहीं है। अतः प्रार्थना स्वीकार कर वाद पत्र खारिज किया जावे।

हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि वादी द्वारा वाद पत्र 53, 188 RT एक्ट के तहत विभाजन का पेश किया गया है। जिसमें विवादित आराजी ख.नं. 323/0.09, 393/0.01, 394/0.04 कि.3 कुल रकबा 0.14 है। वाके ग्राम [illegible] में स्थित है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न जमाबंदी खाता ख.नं. 323 जो कि गै.मुमकिन [illegible], एवं ख.नं. 393 गै.मुमकिन [illegible] एवं ख.नं. 394 गै.मु. बाट की आराजी दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवादित आराजी का कारण रूप से बटवारा नहीं किया जा सकता है बटवारा तब किया जाता है जब आराजी काश्त के रूप में उपयोग ली जाती है। तथा विवादित आराजी आबादी में है तथा गैर मुमकिन आराजीयात का बटवारा नहीं किया जा सकता है। तथा गैर मुमकिन आराजीयात का बटवारा न्यायालय राजस्व के औचित्यता में नहीं आता है तथा विवादित आराजी काश्त योग्य है अथवा नहीं इस बाबत वादी/अप्रार्थी द्वारा किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाये है जिससे साबित होता है कि उक्त आराजी पर काश्त की जाती हो। उक्त वादपत्र वादी का विधि विरुद्ध है जो कि माननीय [illegible] द्वारा विभिन्न नजीर RRT 446 2007, RRT 2014(1) पेज-469, RRT 2014(1) पेज-305, RRT 2014(1) पेज-684, RRT 2023(2) पेज-771 आदि जो कि इस वाद पत्र पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है। अतः प्रार्थी/प्रति का प्रार्थना पत्र 07 R.11 सी.पी.सी. के तहत स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर